



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 17.06.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त 1.वीरू पुत्र रमेश नि० मु० कालीगंज वार्ड नं० 18 कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा **वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व गलत कृत्य करने** के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुठौन्द पर मु०अ०सं० 148/21 धारा 363/366/376/368 भादवि व ¼ पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त वीरू उपरोक्त को **10 वर्ष का कारावास एवं 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कुठौन्द पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. वीरू उपरोक्त को दोषी पाते हुए **10 वर्ष का कारावास एवं 15,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सुधीर सिंह
कोर्ट मुहरिर



का० आशीष कुमार
कोर्ट पैरोकार